कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.37(1588)एचजी / पीएसएएल / 2020 / 10070-71 दिनांक :– 25 SEP 2020

श्री लोकेन्द्र सिंह,
पुत्र श्री दुर्गा सिंह शक्तावत,
पता : ए–4, किर्ती नगर,
चन्देरिया पुलिस थाने के पीछे, चित्तोड़ढ।

विषय :– निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधयां संचालित करने के सम्बन्ध में।'

उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि आपके निजी सुरक्षा अभिकरण व प्रशिक्षण संस्थान मैसर्स : टाईगर सिक्यूरिटी एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, लाइसेन्स संख्या 1445/CD&HG HQ (S-Cell/2017) दिनांक 24.07.2020 वैद्यता दिनांक 23.07.2022 का वार्षिक निरीक्षण कराये जाने पर आपके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करना एवं प्रशिक्षण संस्थान नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (NOS) के अनुसार संचालित करना नही पाया गया। इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मूलभूत सुविधाओं तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों की कमी पायी जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4952 दिनांक 03.04.2020 के द्वारा आपको कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। आपके द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा नोटिस का जबाब संतोषप्रद एवं तर्कसंगत नही पाया गया व आपके निवेदन पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आपको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। आप दिनांक 02.06.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आप द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष कारण पृच्छा नोटिस में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन व मूलभूत सुविधा एवं संसाधनो की कमी को स्वीकार किया गया व पायी गयी अनियमितताओं की कमी पूर्ति शीघ्र ही करने का निवेदन किया।

उपरोक्त के क्रम में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 6448–49 दिनांक 12.06.2020 के तहत आप द्वारा संचालित उक्त वर्णित निजी सुरक्षा एजेन्सी एवं प्रशिक्षण संस्थान का लाइसेन्स निलम्बित करते हुए आपको पत्र क्रमांक 6458 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा निरीक्षण के दौरान रही कमियों की 30 दिवस में पूर्ति कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु अवगत कराया गया। आप द्वारा निर्धारित समयावधि में कमियों की पूर्ति की पालना से अवगत नही कराने पर आदेश क्रमांक 7382–84 दिनांक 13.07.2020 द्वारा उपरोक्त लाइसेन्स का निलम्बन पुनः एक माह के लिए बढाया गया। तत्पश्चात आप द्वारा दिनांक 22.07.2020 को निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की पूर्ति करने हेतु अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों की पूर्ति कर अवगत कराने के फलस्वरूप उपरोक्त वर्णित निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का पनुः निरीक्षण करने हेतु पत्र क्रमांक 8560 दिनांक 17.08.2020 द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर को अधिकृत किया गया तथा पूर्व निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान में पायी गयी कमियों की पूर्ति के सत्यापन तक पत्र क्रमांक 8561–63 दिनांक 17.08.2020 द्वारा पुनः एक माह के लिए लाइसेन्स को निलम्बित किया गया।

समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पाया गया कि उपरोक्त निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्तमान में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (NOS) के अनुसार आवश्यक आधारभुत संसाधनो एवं पूर्व निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों की पूर्ति करली गयी है व उक्त वर्णित लाइसेन्स का निलम्बन दिनांक 11.09.2020 को समाप्त हो गया है। अतः प्रावधानो की पालना के प्रकाश में उक्त वर्णित लाइसेन्स के अधिन आपके सुरक्षा कारोबार व प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की अनुमती प्रदान की जाती है।

यह आदेश नियंत्रक प्राधिकारी (महानिदेशक, गृह रक्षा) महोदय से अनुमोदित है।

25.9.20
(बी.एल. मीणा IPS)
महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा,
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा,
गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान,
जयपुर।